राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] सप्तम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बारहवां दिवस [संख्या 9

बुधवार

दिनांक 3 मार्च, 1982

(विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण 1982-83

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री, श्री चन्दनमल बैद राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण 1982-83 का उपस्थापन करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : टैक्स लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्यगण।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1982-83 के बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. सबसे पहले मैं सदन को प्रदेश की गम्भीर वित्तीय स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। जैसा कि मैं आगे बताऊंगा वर्तमान वर्ष में करीब 340 करोड़ रुपये का घाटा तथा इतना ही ओवर ड्राफ्ट रहने का अनुमान है। ओवर ड्राफ्ट की यह राशि न केवल राजस्थान प्रदेश के लिये ही बल्कि देश में सारे प्रदेशों के लिए उच्चतम राशि है। यह अपने आप में यह दर्शाती है कि हमारा प्रदेश कितनी भयंकर वित्तीय स्थिति में फंसा हुआ है। यह हमारे लिए ही चिन्ता का विषय नहीं है बल्कि भारत सरकार भी इस पर चिन्तित है क्योंकि इससे मुद्रा स्फीति बढ़ती है तथा मूल्यों के नियन्त्रण की हमारी नीति को आघात पहुंचता है। पिछले कई सालों से वित्तीय प्रबन्धन के अनुशासन में जो ढील दी गई हैं उसका ही यह संचित परिणाम हमारे सामने आया है। ओवर ड्राफ्ट और घाटे के मुख्यतया ये कारण हैं:-

(1) प्रदेश में बराबर पड़ने वाला सूखा तथा इस साल के प्रारम्भ में प्रदेश के कुछ हिस्सों में आई भयंकर बाढ़।

(2) राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते में और अन्य भत्तों में बार बार वृद्धि।

(3) वेतन आयोग की रिपोर्ट के कारण राज्य सेवकों को दी जाने वाली अन्तरिम राहत।

(4) गैर योजना मद के खर्चों पर पर्याप्त अंकुश का न होना।

(5) योजना खर्च में बढ़ोतरी।

(6) ओवर ड्राफ्ट का व्याज।

(श्री चन्दनमल वैद)

(7) इन सब खर्चों को वहन करने के लिए पर्याप्त साधनों को न जुटाना।

3. ओवर ड्राफ्ट अपने आप में एक बढ़ने वाला रोग है। इसको अगर तुरन्त काबू में नहीं किया गया तो इसका ब्याज जिस मात्रा में बढ़ रहा है वह हमारे सारे विकास के कार्यों को रोक देगा। हमें तुरन्त इसको काबू में करने के लिए कारगर और कड़े कदम उठाने होंगे। ये कदम कहीं कहीं बहुत कठोर और कड़े हो सकते हैं लेकिन मेरी मान्यता है कि इस समय कड़े से कड़ा कदम उठाकर भी वित्तीय स्थिति को सुधारना अत्यन्त जरूरी है।

4. इस भूमिका के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज से करीब दो वर्ष पहले प्रदेश की जनता ने हमारी पार्टी को सरकार चलाने का दायित्व सौंपा था। जब हमारी पार्टी ने इस प्रदेश का शासन छोड़ा था उस समय हमने विरासत में एक सन्तुलित, अनुशासित तथा संयमित वित्तीय व्यवस्था छोड़ी थी। सन् 1976–77 का साल जब समाप्त हुआ था उस समय राज्य पर कुल 7.48 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट था और इसके विपरीत प्रदेश के राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों में 8.50 करोड़ रुपये की राशि जमा थी। उसके बाद हमारी सही और परखी हुई नीतियों का परित्याग कर दिये जाने के कारण देश और प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था लड़खड़ा गई। हमारी पार्टी पर ही यह दायित्व आया है कि हम इस गम्भीर वित्तीय स्थिति को सुधारें, उत्पादन को बढ़ायें और विकास की गति को तेज करें। ये सारे काम कठोर परिश्रम, अनुशासन और संयम मांगते हैं। मैं पूर्ण आशा के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि हमारी पार्टी में यह क्षमता है।

5. अब मैं माननीय सदस्यों को वर्ष 1981-82 की मुख्य मुख्य उपलब्धियों से अवगत कराना चाहूंगा।

वर्ष 81-82 की उपलब्धियां

6. इस वर्ष हमने बीस संकल्प क्रियान्विति के लिये चुने। इसके लिये विभागों को अतिरिक्त बजट भी आवंटित किया गया। जनतांत्रिक परम्पराओं में हमारी आस्थाओं के अनुरूप पूरे चुनावों का पहला संकल्प अधिकांशतः क्रियान्वित हो चुका है। अच्छी शिक्षा के सम्बन्ध में वांछित सुविधायें सुलभ कराने का काम प्रगति पर है। गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है। गरीब को छप्पर कार्यक्रम के अन्तर्गत 13,233 मकान बनवाये जा चुके हैं तथा देहाती इलाकों में 83,342 भू-खण्डों के पट्टे दिये जा चुके हैं। पेयजल की सुविधा के अन्तर्गत 2,761 गांवों को यह सुविधा सुलभ कराई जा चुकी है। 5,000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांव सड़कों से जोड़ दिये गये हैं तथा 3,000 से 4,000 की आबादी वाले गांवों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 88 पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जावेगा। विद्युत् उत्पादन के क्षेत्र में कोटा थर्मल संयंत्र के बायलर का 25 नवम्बर, 1981 को परीक्षण किया जा चुका है तथा उसका 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। खेत में बिजली कार्यक्रम के अन्तर्गत 593 गांवों तथा 11,580 कुओं का विद्युतीकरण किया जा चुका है। राज्य

(श्री चन्दनमल बैद)

में तीन करोड़ वृक्ष लगाने के लक्ष्य को पूरा किया जा चुका है। राजस्थान को अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष लाने के हमारे संकल्प को साकार करने की दिशा में हम प्रभावी कदम उठा रहे हैं, यह इस प्रगति से स्पष्ट है।

7. हमारे द्वारा लिये गये कार्यक्रमों का ही यह फल है कि वर्ष 1970–71 की कीमतों पर वर्ष 1980–81 में प्रति व्यक्ति आय 1979–80 की तुलना में 524 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो गई। यह वृद्धि 5.53 प्रतिशत है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 1980–81 में 1,227 रुपये प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई थी जबकि वर्ष 1979–80 में यह 1,011 रुपये थी। यह वृद्धि 21.36 प्रतिशत है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर लागू की जा रही हमारी आर्थिक नीतियों के कारण माह सितम्बर, 1981 से थोक भाव सूचकांक में निरन्तर गिरावट आई है। वर्ष 1979 की तुलना में वर्ष 1980 में औसत थोक मूल्य सूचकांक में 16.37 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि वर्ष 1980 की तुलना में वर्ष 1981 में यह वृद्धि 15.16 प्रतिशत रही।

8. विद्युत् का उत्पादन यद्यपि मांग की तुलना में कम रहा परन्तु वर्ष 1980–81 में 4717 मेगावाट विद्युत् की उपलब्धि के मुकाबले वर्ष 1981–82 में 5106.50 मेगावाट विद्युत् उपलब्ध होने का अनुमान है।

छठी पंचवर्षीय योजना

9. बुनियादी आर्थिक ढांचे को फिर से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना का आकार 2025 करोड़ रुपया निश्चित किया गया है। वर्ष 1980–81 में योजना व्यय 339.10 करोड़ रुपये हुआ तथा वर्ष 1981–82 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 459.78 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा। वर्ष 1980–81 में 33.39 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता स्वीकृत हुई थी तथा वर्ष 1981–82 में 67.06 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता स्वीकृत हुई है जिसके पेटे होने वाला व्यय भी योजना व्यय में सम्मिलित है।

अतिरिक्त संसाधन

10. छठी पंचवर्षीय योजना के लिए हमें 750.70 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त संसाधन जुटाने थे। इनके पेटे अब तक किये गये प्रयत्नों से वर्ष 1980–85 के दौरान पांच वर्षों में 477.47 करोड़ रुपयों के साधन उपलब्ध होने का अनुमान है। अतः वर्ष 84–85 तक 273.23 करोड़ रुपयों की व्यवस्था और करनी है। अब तक किये गये प्रयत्नों से वर्ष 1980–81 में 17.69 करोड़ रुपये उपलब्ध हुए तथा वर्ष 1981–82 में 55.16 करोड़ रुपये उपलब्ध होने का अनुमान है। ये संसाधन बिजली की टैरिफ में तथा यात्री किराये में वृद्धि, मद्यनिषेध की समाप्ति, यात्री कर पर सरचार्ज, प्रावधायी निधि तथा रॉक फास्फेट की दरों में परिवर्तन से प्राप्त हुए हैं।

11. वर्ष 1981-82 में संशोधित अनुमानों की समग्र स्थिति इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपयों में)

1. राजस्व प्राप्तियां	824.58
2. राजस्व व्यय	869.2[illegible]

(श्री चन्दनमल बैद)

	(करोड़ रुपयों में)
3. राजस्व खाते में घाटा	(–)44.64
4. पूंजीगत प्राप्तियां	391.73
5. योग (3 तथा 4)	347.09
6. पूंजीगत व्यय	531.83
7. शुद्ध घाटा (6–5)	(–)184.74

81–82 के अतिरिक्त घाटे के कारण

12. वर्ष 1981-82 के बजट भाषण में इस वर्ष का घाटा 42.11 करोड़ रुपये आंका गया था जिसके स्थान पर अब 184.74 करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान है। 142.63 करोड़ रुपये की यह वृद्धि अकाल एवं बाढ़ सहायता कार्यों पर अधिक व्यय 51.00 करोड़ रुपये, कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त महंगाई भत्ते का प्रावधान 40.00 करोड़ रुपये, वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण अन्तरिम सहायता 8.00 करोड़ रुपये, अतिरिक्त योजना व्यय 12.00 करोड़ रुपये, ब्याज का अधिक भुगतान 18.94 करोड़ रुपये, पंचायत चुनावों पर खर्च 3.89 करोड़ रुपये तथा पेन्शन व्यय में वृद्धि 6.00 करोड़ रुपये के कारण है।

वर्ष 81–82 का समग्र घाटा

13. वर्ष 1981–82 के 155.27 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक घाटे को जोड़ने के पश्चात् इस वर्ष के अन्त में 340.01 करोड़ रुपये का घाटा रहने की संभावना है।

वर्ष 82–83 का योजना व्यय

14. वर्ष 1982–83 के लिये योजना आयोग द्वारा 340.00 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। अनुमान है कि अग्रिम आयोजना सहायता के पेटे 19.22 करोड़ रुपये की प्राप्तियां और होंगी। इस प्रकार कुल मिलाकर वर्ष 1982–83 में 359.22 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है।

योजना व्यय का विभाजन

15. योजना व्यय का मुख्य मुख्य मदों में विभाजन इस प्रकार है:–

	(करोड़ रुपयों में)
1. सिंचाई एवं विद्युत	182.64
2. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	72.12
3. कृषि एवं सम्बद्ध सेवायें	58.67
4. परिवहन एवं संचार	23.70
5. उद्योग एवं खनिज	16.10
6. सहकारिता	4.50
7. अन्य	1.49
योग	359.22

16. योजना व्यय का उपरोक्त विभाजन हमारी प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। प्रधान मंत्रीजी द्वारा घोषित नये बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये दो तिहाई से भी अधिक राशि खर्च करने की व्यवस्था है।

17. वर्ष 1982–83 में विकास कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय यह है कि प्रदेश का आर्थिक ढांचा तथा इन्फास्ट्रक्चर सुदृढ़ बनाया जाय। प्रयत्न यह होगा कि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में बढ़ोतरी हो और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को ऐसे साधन और सुविधाएं मुहैया कराई जायें कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें एवं प्रदेश के विकास में सक्रिय रूप से भागीदार हो सकें।

(श्री चन्दनमल बैद)

सिंचाई

18. सिंचाई और विद्युत को, जो कि आधारभूत ढांचे के प्रमुख स्तम्भ हैं, हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष 1982-83 में सिंचाई पर 64.41 करोड़ रुपये के योजना व्यय का प्रावधान किया गया है। इसमें राजस्थान नहर के लिये 27.50 करोड़ रुपये एवं माही परियोजना के लिये 6.80 करोड़ रुपये का प्रावधान सम्मिलित है। अगले वर्ष दो नई वृहद् योजनाओं पर भी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। ये हैं जमुना लिफ्ट कैनाल तथा कडाना हाई लेवल कैनाल। लघु सिंचाई योजनाओं पर 8.45 करोड़ रुपये का व्यय होगा। बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये भी 2.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

विद्युत

19. वर्ष 1982-83 में विद्युत पर 115.68 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा। इसमें विद्युत उत्पादन पर 50.12 करोड़ रुपये, वितरण प्रणाली पर 47.85 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विद्युतीकरण पर 17.36 करोड़ रुपये व्यय होगा। पलाना लिग्नाइट विद्युत परियोजना के लिये 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास

20. वर्ष 1982-83 की योजना में 50.69 करोड़ रुपये जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में व्यय किये जाने का प्रावधान है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित कार्यों के लिये 36.15 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनुसूचित जाति····

(विद्युत अव्यवस्था)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अनुसूचित जाति का नाम लेते ही यह क्या हो गया ?

एक माननीय सदस्य : अपशुकन हो गया है।

श्री चन्दनमल बैद : अनुसूचित जाति संगठक योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसमें राज्य योजना से 36 81 करोड़····

श्री अध्यक्ष : अन्धेरे से उजाले में।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : बजट कम हो गया इसलिए।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मदेरणा साहब का मंत्रालय है।

श्री चन्दनमल बैद : ....रुपये के व्यय का प्रावधान है। भारत सरकार से इसके अलावा 5.92 करोड रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी।

छात्रवृत्ति में वृद्धि

21. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को वर्तमान में 50 रुपये से 100 रुपये तक नीड कम मेरिट छात्रवृत्ति दी जाती है जिसे बढ़ाकर 60 रुपये से 120 रुपये कर दिया जायेगा। इसी प्रकार छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को इस समय 75 रुपये से 125 रुपये की जो छात्रवृत्ति मिलती है उसे बढ़ाकर 100 रुपये से 170 रुपये कर दिया जायेगा। अभी यह सुविधा

(श्री चन्दनमल बैद)

राज्य में 500 छात्रों को उपलब्ध होती है। वर्ष 1982-83 में इन छात्रवृत्तियों की संख्या 500 से बढ़ाकर 1200 किये जाने का प्रस्ताव है।

खिलाड़ी कल्याण कोष

22. खिलाड़ियों की मदद के लिये एक खिलाड़ी कल्याण कोष बनाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार की ओर से इस कोष में एक लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

पेयजल

23. वर्ष 1982-83 में पेयजल के लिये 28.89 करोड़ रुपये की राशि योजना व्यय में उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा भारत सरकार से अभिवृद्धि ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत 15.00 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होने का अनुमान है।

कृषि

24. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों पर 58.67 करोड़ रुपये का योजना व्यय वर्ष 1982-83 में प्रस्तावित है। अगले वर्ष तीन लाख मैट्रिक टन उर्वरक तथा 2.38 लाख क्विन्टल बीज वितरण का कार्यक्रम है। 29.15 लाख हैक्टेअर क्षेत्रफल अगले वर्ष अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत लिया जायेगा जो कि इस वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिये हम विशेष प्रयास करेंगे। अनुमान है कि अगले वर्ष दलहन का उत्पादन 39.98 लाख हैक्टेअर तथा तिलहन का उत्पादन 14.10 लाख हैक्टेअर क्षेत्रफल में होगा। इसके अतिरिक्त 10.67 लाख फलदार वृक्ष लगाने तथा 75,000 जेरबडिंग का कार्य हाथ में लेने का निश्चय किया गया है। अनुसूचित जाति, जन जाति तथा कमजोर वर्ग के कृषकों को फलदार पौधे निःशुल्क वितरित किये जायेंगे। राज्य में कृषि से संबंधित शिक्षा के प्रसार एवं कृषि अनुसंधान हेतु उदयपुर विश्वविद्यालय को 63 लाख रुपये देने का प्रावधान है।

पशुपालन तथा वन विकास

25. राज्य योजना में वर्ष 1982-83 में पशु व दुग्ध विकास कार्यक्रमों के लिए 3.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वनों के महत्व को देखते हुए वन विकास कार्यक्रम पर 3 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। वर्ष 1982-83 में 3.50 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है।

सहकारिता

26. सहकारिता पर वर्ष 1982-83 में 4.50 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा। सहकारिता वर्ष 1982-83 में 120 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, 12 करोड़ रुपये के मध्यकालीन तथा 24 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय समर्थित परियोजना के अन्तर्गत 625 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य है।

ग्रामीण विकास

27. ग्रामीण विकास कार्यक्रम को हम सर्वाधिक महत्व देते हैं। वर्ष 1982-83 में ग्रामीण विकास से सीधे संबंधित कार्यक्रमों

(श्री चन्दनमल बैद)

पर 15.55 करोड़ रुपये के योजना व्यय का प्रावधान है। इस राशि में से सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम हेतु 4.30 करोड़ रुपये, मरु विकास कार्यक्रम के लिए 3.20 करोड़ रुपये, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु 6 करोड़ रुपये व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु 2 करोड़ रुपये रखे गये हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से वर्ष 1982-83 में लगभग 1 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

28. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों, आश्रम स्कूलों, अनुदानित छात्रावासों एवं आश्रम स्कूलों में रहने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति की दर में अगले वर्ष 25 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त निराश्रित बाल-गृहों, विकलांग प्रशिक्षण, पुनर्वास केन्द्र व छात्रावासीय विकलांगों की छात्रवृत्ति की दर में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को अगले वर्ष बढ़ी हुई दर से छात्रवृत्ति मिलने लगेगी।

श्रम कल्याण

29. श्रम कल्याण के लिये अगले वर्ष 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरों में इस प्रकार वृद्धि करने का प्रस्ताव है :--

	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर	मासिक दर
अकुशल	7.00 रु.	9.00 रु.	234.00 रु.
अर्द्धकुशल	8.00 रु.	10.00 रु.	260.00 रु.
कुशल	9.25 रु.	11.25 रु.	292.50 रु.

पंचायती राज

30. अभी हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं। राज्य की जनता ने हमारी पार्टी तथा उसकी नीतियों में पुनः अपनी आस्था प्रकट की है। यह लोकतन्त्र में हमारी आस्था को भी प्रकट करता है। हम पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक दायित्व सौंप रहे हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार कर सकें।

बजट अनुमान 1982-83

31. वर्ष 1982-83 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:--

(करोड़ों रुपयों में)

1. राजस्व प्राप्तियां	870.27
2. राजस्व व्यय	878.52
3. राजस्व खाते में घाटा	(-)8.25
4. पूंजीगत प्राप्तियां	313.16
5. योग (3 तथा 4)	304.91
6. पूंजीगत व्यय	355.24
7. शुद्ध घाटा (6-5)	(-)50.33

32. माननीय सदस्यों को मैंने यह पहले ही अवगत करा दिया है कि वित्तीय स्थिति सुधारना हमारे लिये अत्यन्त

(श्री चन्दनमल बैद)

जरूरी है। इसके लिये इस प्रकार कारगर कदम उठाये जायेंगे :–

(1) योजना खर्च को योजना आयोग द्वारा मंजूर की गई राशि तक सीमित रखा जाये।

(2) गैर योजना खर्च को कड़ाई से कम किया जाये।

(3) अकाल राहत के कार्यों को उत्पादक कार्यों में बदला जाये तथा जहां तक सम्भव हो अनुत्पादक कार्यों में संयम बरता जाये।

(4) वसूली की प्रक्रिया को तेज किया जाये।

(5) राजस्व कमाने वाले विभाग अपने निश्चित टार्गेट्स को पूरा करें तथा इसके लिये उनकी बराबर मानिटरिंग की जाये।

(6) जो विभाग अपने मंजूरशुदा खर्चों से ज्यादा खर्च करते हैं उनके अध्यक्षों पर कड़ी कार्यवाही की जाये।

(7) राज्य विद्युत मण्डल, राज्य परिवहन निगम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने बजट को सन्तुलित करें।

(8) राज्य के अगले साल के बजट में कोई घाटा न छोड़ा जाये।

33. मेरा मानना है कि अगर हम इस दिशा में कार्य करें तो अगले साल वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा अनुशासन और संयम के साथ स्थिति नियन्त्रण में लाई जा सकती है। स्थिति नियन्त्रण में आने के बाद हम भारत सरकार से भी यह निवेदन कर सकते हैं कि इस साल के अन्त में जो ओवर ड्राफ्ट की रकम रहे उसका वे कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे हर साल राजस्थान के बजट पर तात्कालिक कोई भार न पड़े।

सार्वजनिक उपक्रम

34. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निरन्तर घाटे की स्थिति राज्य सरकार के लिये चिन्ता का विषय है। 1982 को हमने उत्पादकता वर्ष भी घोषित किया है। प्रधान मन्त्रीजी के बीस सूत्री कार्यक्रम में सार्वजनिक उद्यमों की कार्यकुशलता, उनकी क्षमता के उपयोग और आन्तरिक साधनों के उत्पादन की शक्तियों को बढ़ाकर उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाये जाने पर बल दिया गया है। हम सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों की अगले वर्ष के प्रारम्भ में गहन समीक्षा करेंगे। हमारा यह मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के घाटे का भार अन्य करदाताओं पर नहीं पड़ना चाहिये। इन उद्यमों की सेवाओं का जो उपयोग करते हैं उन्हीं से उनका उचित मूल्य प्राप्त कर उन सेवाओं की लागत प्राप्त की जानी चाहिये। साथ ही इन उद्यमों द्वारा अपना लागत मूल्य प्राप्त करने के पश्चात् राज्य के विकास कार्यों के लिये भी आवश्यक योगदान दिया जाना चाहिये।

35. जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, अगले वर्ष बजट में 50.33 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। अब मैं इस घाटे की पूर्ति के लिये इस प्रकार प्रस्ताव करता हूं।

व्यय की कमी

36. राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए गैर योजना मद में कड़ाई से कटौती की जायेगी। इस कार्य के

(श्री चन्दनमल बैद)

लिए अगले साल हर विभाग के खर्चों, स्कीमों तथा स्टाफ का आलोचनात्मक परीक्षण करके कम उपयोगी खर्चों को काटा जायेगा। मुझे इस बात की पूरी आशा है कि गैर योजना मद के 747 करोड़ रुपये के खर्चे में काफी कमी की जा सकती है। लेकिन इस समय मैं फिलहाल दस करोड़ रुपये की राशि की कटौती करने का अपना निश्चय प्रकट करना चाहता हूं। कटौती इससे ज्यादा ही होगी लेकिन अभी मैं इस मद में 10 करोड़ रुपये की राशि ही ले रहा हूँ और इसी के साथ अतिरिक्त संसाधन जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं।

कर प्रस्ताव

37. जहां खर्चों में कमी की आवश्यकता है वहां आय के अतिरिक्त साधन जुटाने भी आवश्यक हैं। अतिरिक्त भार डालने का प्रस्ताव करते वक्त इस बात का मैंने पूरा ख्याल रखा है कि भार उन्हीं लोगों पर पड़े जो प्रदेश की विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं तथा जो अपेक्षाकृत अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं। इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखकर मैं अतिरिक्त संसाधन जुटाने के कुछ प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

बिक्री कर

38. सबसे पहले मैं बिक्री कर को लेता हूँ।

39. इस समय राज्य में जितने नये उद्योग लगते हैं उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल पर बिक्री कर देय नहीं है जबकि पांच वर्ष से पुराने उद्योगों पर एक प्रतिशत की दर से बिक्री कर देय है। मेरा यह प्रस्ताव है कि वर्तमान में दी हुई छूट वापस ले ली जाय तथा ऐसे उद्योगों के काम में आने वाले कच्चे माल पर एक प्रतिशत व पुराने उद्योगों के काम में आने वाले कच्चे माल पर 2 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाया जाय। इससे राज्य को प्रति वर्ष लगभग 7 करोड़ रुपयों की आय होने का अनुमान है।

40. राज्य की वित्तीय विषमताओं को दूर करने का विशेष दायित्व समाज के ऐसे वर्ग का है जो संभ्रांत वर्ग कहलाता है अतः यह प्रस्तावित है कि ऐसे वर्ग के द्वारा उपभोग में आने वाली वस्तुओं पर कर भार निम्न रूप से बढ़ाया जाय :—

(1)	टेबल कटलरी चमचों को छोड़कर	8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत
	(व्यवधान)	
(2)	फर्स एवं स्किन्स (पशुओं, भेड़, बकरा या बकरी को छोड़कर) या उससे बनी हुई वैयक्तिक या घरेलू वस्तुएं	10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत
(3) (i)	संगमरमर अपने सभी रूपों में तथा	
(ii)	संगमरमर से बनी हुई वस्तुएं (सिवाय उनके जो स्वयं उनको बनाने वाले व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्य द्वारा बेची जाती हों और जो किसी भी प्रक्रम पर वगैर वैतनिक श्रम या ऊर्जा-शक्ति	10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत

(श्री चन्दनमल बैद)

नियोजित करते हुये बनाई गई हो एवं संगमरमर से निर्मित प्रतिमायें और मूर्तियां)

(4)	पिकनिक सैट्स	10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत
(5)	सभी प्रकार के आग्नेय शस्त्र (फायर आर्म्स) एवं उनकी एम्युनिशन व एक्सेसरीज	12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत
(6)	सिगरेट केस एवं लाइटर्स	12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत
(7)	क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सैट्स, वीडियो टेलीविजन, वीडियो कैसेट्स, विडियो प्लेयर्स उनके एक्सेसरीज एवं कम्पोनेन्ट्स	8 प्रतिशत से 15 प्रतिशत

इससे करीब 25 लाख रुपये अधिक आय होने का अनुमान है।

41. इस समय 10 रुपये के मूल्य से कम के बनाये कपड़ों पर बिक्री कर से छूट है। इसका काफी दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस छूट को समाप्त कर दिया जाय। इससे करीब 15 लाख रुपये आय होने का अनुमान है।

42. जोधपुर में स्टेनलैस स्टील की शीट्स बनाने के कई उद्योग स्थापित हुए हैं। अभी इस माल का बेचान मुख्य रूप से राज्य के बाहर बड़े शहरों में डिपो ट्रांसफर से किया जाता है। इस माल का राज्य से अन्तर्राज्यीय विक्रय कर प्राप्त होने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी जाय। इससे प्रतिवर्ष लगभग 25 लाख रुपयों की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

43. वर्तमान में स्टेनलैस स्टील के बर्तन बनाने के उद्योग बहुत ही कम हैं यद्यपि उसके लिए कच्चा माल यानी शीट्स बनाने के काफी उद्योग जोधपुर में स्थापित हो गये हैं। ये उद्योग ज्यादातर उत्पादन राज्य के बाहर भेजते हैं जहां से बर्तन बन कर राजस्थान में तथा अन्यत्र बिकने जाते हैं। राजस्थान में ही इस कच्चे माल का अधिक उपभोग करने वाले उद्योग लगे तथा बने हुए बर्तन राज्य में तथा राज्य के बाहर बिकें इस हेतु ऐसे बर्तन उद्योग को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। ये उद्योग अन्तर्राज्यीय विक्रय में अन्य राज्यों की स्पर्धा में टिक सकें अतः उनके अन्तर्राज्यीय विक्रय कर की दर को 4 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

44. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये मैं कुछ रियायतों का प्रस्ताव भी करना चाहता हूं।

. चुन्नियां, ओढ़नियां व साड़ियों पर बंधेज का काम जयपुर, जोधपुर, सीकर, कुचामन, लाडनूं, सुजानगढ़ आदि कई स्थानों पर कुटीर उद्योग के रूप में होता है। इससे हजारों परिवारों को रोजगार मिलता है एवं इस

(श्री चन्दनमल बैद)

उद्योग पर लाखों लोग आश्रित हैं। शुद्ध रेशम की ऐसी वस्तुओं पर वर्तमान में कर.दर 10 प्रतिशत है। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये इस दर को 3 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है। इससे राज्य में उत्पादित ऐसी वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री भी बढ़ने की आशा है। अन्य प्रकार की चुन्नी, ओढ़नी व साड़ियां पहले से ही बिक्री कर से मुक्त हैं।

45. चूड़ियां भारतीय महिलाओं का आवश्यक आभूषण है तथा इनका उत्पादन भी कुटीर और लघु उद्योगों में होता है। राज्य में विशेष रूप से पाली एवं जोधपुर जिलों में प्लास्टिक की चूड़ियों के कुटीर तथा लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये तथा गृहणियों को राहत पहुंचाने के लिए प्लास्टिक तथा कांच की चूड़ियों पर कर दर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

46. इन दोनों छूटों से लगभग 15 लाख रुपये प्रति वर्ष आय में कमी होगी।

47. मैं बिक्री कर देने वाले व्यापारियों की कठिनाइयों को हल करने के लिए इस प्रकार प्रस्ताव करता हूं :

पिछले कुछ वर्षों में मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा छोटे व्यापारियों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट, 1954 की धारा 3 में वर्णित टर्नओवर सीमाओं में निम्न रूप से बढ़ोतरी की जाये :—

माल के निर्माता के लिये 10,000 रु. के स्थान पर 25,000 रुपये

सहकारी समितियों के लिये 25,000 रु. के स्थान पर 50,000 रुपये

अन्य व्यापारियों के लिए 50,000 रु. के स्थान पर 75,000 रुपये।

48. बिक्री कर के अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर निर्धारित सीमा से ज्यादा हो तो चाहे उसके द्वारा बिक्री कर देय हो या नहीं, उसे पंजीयन कराना पड़ता है। इससे व्यापारियों और विभाग दोनों पर अनावश्यक रूप से भार पड़ता है। बिक्री कर कानून में अब यह संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है कि 5,000 रुपये अधिक वार्षिक कर देय माल की सालाना बिक्री होने पर ही व्यापारी को पंजीयन कराना पड़ेगा।

49. उपरोक्त संशोधनों के लिये पृथक से संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

50. आय में बिना कमी किये कर किस बिन्दु पर लगाया जाए तथा वर्गीकरण किस प्रकार कम व सरल किया जाये इस पर विचार करने के लिए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जो अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को 6 माह में प्रस्तुत करेगी।

मुद्रांक एवं पंजीयन

51. वर्तमान में स्टाम्प ड्यूटी मुख्यतः कन्सीडरेशन के आधार पर ली जाती है। क्योंकि दस्तावेजों में कन्सीडरेशन कम बताने की प्रवृत्ति रहती है, अतः इसका आय पर विपरीत असर पड़ता है। अब स्टाम्प

(श्री चन्दनमल बैद)

ड्यूटी बाजार के मूल्य पर वसूल करने का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे सालाना 50 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

52. वर्तमान में यह प्रावधान है कि जो दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिये प्राप्त होते हैं उनको संबंधित रजिस्टर में हाथ से लिखा जाता है। इससे संबंधित व्यक्ति को दस्तावेज लौटाने में विलम्ब होता है। अधिनियम में अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि दस्तावेज के साथ सही प्रतिलिपि अथवा फोटो स्टेट प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाये जिसे संबंधित रजिस्टर में रख लिया जायेगा। इस संशोधन से दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के पश्चात् इसे जल्दी ही लौटाया जा सकेगा और इस प्रकार पंजीयन कार्य जल्दी हो सकेगा।

53. उपरोक्त संशोधनों के लिये अलग से दो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

सिंचाई दर

54. सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि सिंचाई परियोजनाओं पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए सिंचाई की दरें निश्चित की जायं तथा योजना अवधि के अन्त तक कुल खर्चे पर कम से कम 1 प्रतिशत रिटर्न तथा उन पर रख-रखाव का खर्च प्राप्त हो। राज्य में सिंचाई योजनाएं, जिनसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, पर लगभग 530 करोड़ रुपये का विनियोजन किया जा चुका है जिसका 1 प्रतिशत लगभग 5.30 करोड़ रुपये होता है। इस समय सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव पर लगभग 16.91 करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय होते हैं। इस समय इस मद से लगभग 11 करोड़ रुपये की प्राप्ति होती है जो रख-रखाव का खर्चा निकालने के लिए भी काफी नहीं है। अतः मेरा यह प्रस्ताव है कि वर्तमान सिंचाई की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : पूंजीपतियों का यह बजट है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मार रहे हैं यह तो जिन्दों को।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, सुनिये आप ध्यान से।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : इससे प्रति वर्ष लगभग ढाई करोड़ रुपये अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

(व्यवधान)

भूमि व भवन कर

55. राज्य में वर्ष 1973 में भूमि एवं भवन कर लगाया गया था। भूमि व भवन कर से छोटे शहरों में बहुत कम आय होती है तथा खर्चा अधिक होता है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से यह कर उन सारे स्थानों पर, जिनकी आबादी नवीनतम जनगणना के आधार पर एक लाख से कम है, समाप्त कर दिया जाय। इसके साथ ही मेरा यह भी प्रस्ताव है कि जिन शहरों में अब यह कर लागू रहेगा अगले तीन सालों में पुनः मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि मान्यता

(श्री चन्दनमल बैद)

प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को इस कर से छूट दे दी जाये। इससे करीब 20 लाख रुपये की सालाना आमदनी में कमी होगी।

मनोरंजन कर

56. राजस्थान की जनसंख्या को ध्यान मे रखते हुए सिनेमा घरों की संख्या बहुत कम है। राज्य सरकार के लिए मनोरंजन कर आय का एक अच्छा साधन है। राज्य में कई ऐसे म्यूनिसिपल कस्बे एवं अन्य स्थान हैं जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है। ऐसे म्यूनिसिपल कस्बे एवं स्थान जहां अभी एक भी सिनेमाघर नहीं हैं, में सिनेमा घर बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रस्ताव है कि इन जगहों में अगले वित्तीय वर्ष से पांच वर्षों में सिनेमा घर बनाये जायं तो इस प्रकार से मनोरंजन कर से छूट दी जायेगी :—

प्रथम वर्ष में मनोरंजन कर से शत प्रतिशत छूट

द्वितीय वर्ष में मनोरंजन कर से 50 प्रतिशत छूट

तृतीय वर्ष में मनोरंजन कर से 25 प्रतिशत छूट

चतुर्थ वर्ष में पूरा मनोरंजन कर चुकाना होगा।

57. सिनेमा घर बनाने के लिए वर्तमान नियम छोटे शहरों व कस्बों के लिए ज्यादा व्यावहारिक नहीं हैं। अतः ऐसे स्थानों पर "लोक छवि गृह" स्थापित करने के लिए सरल नियम बनाये जायेगे जिससे कम लागत में ऐसे स्थानों पर अधिक सिनेमा घर बन सकें।

58. बड़े शहरों में जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए कई प्रदेशों में सिनेमा घर बनाने के नियमों में कार्माशियल काम्पलैक्स बनाने, ट्विन सिनेमा घर बनाने इत्यादि का प्रावधान है। इसी प्रकार से सम्बन्धित नियमों में उपयुक्त संशोधन करने का राज्य सरकार का विचार है।

59. राज्य सरकार हमेशा कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए इच्छुक रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं निम्न प्रकार के मनोरंजन को मनोरंजन कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं:—

(1) संगीत कार्यक्रम
(2) नाटक
(3) गीत और नृत्य
(4) कठपुतली प्रदर्शन
(5) कवि सम्मेलन और मुशायरे
(6) खेल कूद और क्रीड़ायें
(7) दंगल और कुश्तियां
(8) कव्वाली
(9) पुष्प प्रदर्शनी
(10) मेले में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन
(11) सर्कस और
(12) जादू का खेल

इससे मनोरंजन कर की आमदनी में करीब 5 लाख रुपये सालाना की कमी होगी।

बिजली कर

60. मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि हमारा यह प्रयत्न होगा कि राज्य में

(14)

(श्री चन्दनमल बैद)

कार्य कर रहे सार्वजनिक उद्यम इस प्रकार वित्तीय प्रबंधन करें कि उन्हें किसी प्रकार का घाटा न हो। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिजली की दरों में बढ़ोतरी के निम्न प्रस्ताव हैं :—

लघु उद्योग	4 पैसे प्रति यूनिट
मध्यम उद्योग	6 पैसे प्रति यूनिट
एच. टी. 15 लाख तक के उपभोक्ताओं पर	6 पैसे प्रति यूनिट
एच. टी. 15 लाख से अधिक के उपभोक्ताओं पर	9 पैसे प्रति यूनिट

इस प्रस्ताव से अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 11 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

कृषि में वर्तमान फ्लेट रेट की दर दुगुनी करदी जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किसान विरोधी सरकार है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : XXX

श्री यदुनाथसिंह : लो बजाओ ताली।

श्री चन्दनमल बैद : इस प्रस्ताव से अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

विद्युत् शुल्क

61. भारत सरकार के विभाग, रेलवेज, ऐसे अस्पताल जोकि व्यक्तिगत मुनाफे के लिये नहीं चलाये जा रहे हैं, रिकोग्नाइज्ड शिक्षण संस्थाओं एवं सार्वजनिक पूजा के स्थानों (प्लेस आफ पब्लिक वरशिप) को इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मिलने वाली छूट को छोड़कर अन्य सभी इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूटों (रिडक्शन, रेमीशन व एक्जम्पशन) को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें स्वयं बिजली उत्पादन करने वाले भी शामिल हैं। उक्त प्रस्ताव से अगले वर्ष लगभग 9 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

62. कृषि कार्य में आने वाली बिजली पर वर्तमान में कोई विद्युत् शुल्क नहीं लगाया जाता है। मीटर्ड सप्लाई पर एक पैसा प्रति यूनिट विद्युत् शुल्क व फ्लेट रेट पर कुल मांग की 5 प्रतिशत दर से विद्युत् शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। उक्त प्रस्ताव से ···

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अब दिल्ली ले जाना। अब ले जाओ दिल्ली इन्हें....

श्री चन्दनमल बैद : अगले वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

गुड्स व पैसेन्जर टैक्स

63. राज्य सरकार का यह भी विचार है कि वर्तमान में लगे हुए पैसेन्जर तथा गुड्स टैक्स का मोटर व्हीकल्स टैक्स में यूनिफिकेशन कर दिया जाये। इसके फलस्वरूप इस मद की आय की वसूली की प्रक्रिया सरल हो जायेगी। ऐसा अनुमान है कि प्रस्तावित

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चन्दनमल बैद)
संशोधित प्रक्रिया से लगभग 4 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय होगी।

आबकारी

64. यह तय किया गया था कि देश में निर्मित विदेशी शराब की दुकानों को नीलाम किया जाये। अब यह प्रस्ताव है कि देश में निर्मित विदेशी शराब के ठेके एकांकी विशेष अधिकार (exclusiv privileg3) के आधार पर दिये जायं। अभी एकांकी विशेष अधिकार (exclusive privilege) की पद्धति केवल देशी शराब के ठेकों पर लागू है। प्रस्तावित प्रणाली के अपनाने से अगले वर्ष लगभग 8 करोड़ रुपयों की आय होने का अनुमान है।

65. उपरोक्त संसाधन जुटाने की प्रक्रिया से प्रदेश की जनता के कुछ वर्गों पर भार पड़ा है। इस सन्दर्भ में मैं राज्य कर्मचारियों से भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। राज्य कर्मचारी चाहें तो केवल अपनी कार्य क्षमता बढ़ाकर ही प्रदेश के बजट के घाटे को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। राज्य की इस विषम वित्तीय स्थिति में राज्य सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि राज्य कर्मचारियों को एक सीमा से अधिक सुविधायें और वेतनमान दिये जा सकें। प्रशासन के काम में दक्षता तथा संवेदनशीलता सही मायने में समस्या का हल है। इन दो पहलुओं की अनदेखी कर अगर इन सुविधाओं को असीमित रूप से बढ़ने दिया गया तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि या तो योजनाओं की छुट्टी करदी जाये या फिर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की जाये। दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकतीं। अतः राज्य कर्मचारियों के लिए यह समय मांग का न होकर अपने कर्तव्यपालन का होना चाहिए। सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों के प्रति संवेदनशील है लेकिन साथ ही साथ उनको अपने कर्तव्य और दायित्व का भान भी होना चाहिए।

66. कर प्रस्तावों और खर्च में कमी करने के प्रस्ताव को लेकर कुल अतिरिक्त संसाधन 58.25 करोड़ रुपये के होंगे। इससे अगले साल का 50.33 करोड़ रुपये का घाटा 7.92 करोड़ की शुद्ध बचत में बदल जायेगा। भारत सरकार से अगले वर्ष केन्द्रीय करों के अंश से 6.57 करोड़ रुपये और प्राप्त होंगे। अतः कुल मिलाकर 14.49 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत होगी। इस शुद्ध बचत को योजनाओं में लगाने का विचार है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके शीघ्र क्रियान्वयन से राजस्थान के भावी विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट में गति आयेगी। इन योजनाओं की गति को धीमी करना प्रदेश के हित में नहीं है। अतः योजना आयोग से परामर्श करके राजस्थान नहर, माही परियोजना, कोटा थर्मल पावर स्टेज-II, पलाना तथा अन्य स्थानों पर लिग्नाइट पर आधारित विद्युत योजनाएं, पंचायती राज संस्थाएं तथा नगरपालिकाओं के लिये संसाधन, शिक्षा के क्षेत्र में नये विद्यालय, पालिटेक्निक तथा नये विषय, चिकित्सा के क्षेत्र में नई डिस्पेन्सरी, एडपोस्ट तथा आयुर्वेदिक औषधालय, ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा अन्य इसी प्रकार की योजनाओं के कार्यों के लिए खर्च की घोषणा जल्दी ही की जायेगी।

67. माननीय अध्यक्ष, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 1982–83 के बजट अनुमान

(श्री चन्दनमल बैद)
सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन
राजस्थान वित्त विधेयक, 1982

श्री अध्यक्षः विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक।

श्री चन्दनमल बैद : मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 4 मार्च, 1982 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.पू. 11.45 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 4 मार्च, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)
